यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम दूदी में जमाबंदी संवत 2074-77 में खाता संख्या 17 में रिछपाल शुभराम पिता टोडाराम जांगिड़ अंकित है। जबकि जांच में आवेदक के पिता का नाम टोडाराम के बजाय खमाराम है। जांच एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम खमाराम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है।

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दूदी में जमाबंदी संवत 2074-77 में खाता संख्या 17 में रिछपाल शुभराम पिता टोडाराम जांगिड़ के स्थान पर रिछपाल शुभराम पिता खेमाराम नाम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.04 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested